समक्ष-राज्य विधिक परिषद, उत्तर प्रदेश

परिवाद संख्या- 19/2021

D.No. 29/21

श्री वीरेन्द्र सिंहपरिवादी

बनाम

श्री मनोज भाटीप्रतिवादी

परिवादी वीरेंद्र सिंह द्वारा दिनांक 22/2/21 को एक दिए गए प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में निम्न कथन किया गया है।

मनोज कुमार भाटी दिनांक 22/2/1991 से दिनांक 30/4/2009 तक भारतीय वायु सेवा में सेवारत रहा सर्विस के दौरान ही बिना विभाग की अनुमति के द्विवर्षीय पत्राचार माध्यम से उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश की स्नातक डिग्री के आधार पर जनहित कॉलेज आफ लॉ ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुध नगर में एलएलबी की तीन वर्षीय डिग्री कोर्स करने हेतु प्रथम वर्ष 2004 में नियम विरुद्ध प्रवेश लिया तथा वर्ष 2007 में बिना विभागीय अनुमति अपने आप को कक्षा में लगातार 3 वर्ष तक फर्जी उपस्थिति दिखाकर वर्ष 2007 में बिना विभागीय अनुमति तथा बिना सर्विस से अनुपस्थित रहे 76% उपस्थिति के साथ एलएलबी की डिग्री प्राप्त की उपस्थिति का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रोविजनल कम अटेंडेंस सर्टिफिकेट में लिखित है।

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

विदित हो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा संबंध कॉलेजों में स्नातक की डिग्री सन् 1989 त्रिवर्षीय कर दी गई है और यदि किसी छात्र द्वारा पूर्व में 2 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की थी तो ऐसे छात्र को एक वर्षीय ब्रिज कोर्स के बाद ही अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश दिया जा सकता है।

बार काउंसिल आफ इंडिया के रूल रेगुलेशन द्वारा भी त्रिवर्षीय रेगुलर कोर्स करने हेतु 10 + 2 + 3 के तहत ही स्नातक कोर्स पूरा करना अनिवार्य है।

मनोज कुमार भाटी द्वारा न केवल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा बार काउंसिल आफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के विरुद्ध कार्य कर विधि स्नातक की तीन वर्षीय एलएलबी की डिग्री प्राप्त की अपितु जनहित कॉलेज आफ लॉ ग्रेटर नोएडा गौतम बुध नगर से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी वायु सेना में सेवा करते हुए वर्ष 2004 में एलएलबी के तीन वर्षीय नगला कोर्स में प्रवेश किया तथा कॉलेज से साजिश करके 76% हाजिरी दर्शाकर वर्ष 2007 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की जो बिना विभागीय अनुमति के कक्षा में शामिल हुए संभव नहीं है।

मनोज कुमार भाटी द्वारा रेगुलर कक्षा में उपस्थित रहकर एलएलबी का कोर्स 76% उपस्थिति के साथ तथा वायु सेवा की नौकरी में भी उपस्थित रहकर वेतन प्राप्त किया जो की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के साथ ही धोखाधड़ी नहीं अब तो भारतीय वायु सेना व भारत सरकार के साथ भी धोखाधड़ी व जालसाजी है।

मनोज भाटी के द्वारा जनहित कॉलेज ऑफ़ लॉ से साजिश करके अपने नाम से किसी दूसरे छात्र से कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई तथा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिलाई गई तथा लगातार तीन वर्ष तक कक्षा में 76% उपस्थिति के साथ परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त किया।

मनोज कुमार भाटी द्वारा प्राप्त एलएलबी डिग्री के आधार पर भारतीय वायु सेना की नौकरी से दिनांक 30 /04/09 को सेवा मुक्त हुआ किंतु फर्जी शपथ पत्र दिनांक 24/04/09 मैं तथ्यों को छुपा कर झूठा लिखकर दौरान सेवारत दिनांक 26/04/09 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया तथा जनपद न्यायालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुध नगर में बतौर अधिवक्ता कार्यरत है।

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है-

प्रतिवादी मनोज कुमार भाटी एडवोकेट द्वारा परिवाद पत्र के विरुद्ध दिनांक 29/10/2023 को दाखिल लिखित उत्तर के प्रारंभिक आपत्ति में निम्न कथन किया गया।

परिवादी द्वारा योजित परिवाद माननीय अनुशासन समिति द्वारा संज्ञान दिए जाने योग्य नहीं हैं संपूर्ण परिवाद के कथनों में उत्तरदाता द्वारा परिवादी के विरुद्ध कोई भी व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचारण का कोई आरोप नहीं है । जहां तक उत्तरदाता के द्वारा गलत या फर्जी क्षेत्र की योग्यता के प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण किए जाने का प्रश्न है तो प्रश्न माननीय पंजीकरण समिति द्वारा पूर्व बाद संख्या 06/2016 श्री अजय सिंह बनाम श्री मनोज भाटी एडवोकेट पंजीकरण संख्या यूपी 2742 / 2009 मैं उत्तरदाता के पंजीकरण को पूर्णतः वैद्य मानते हुए उक्त परिवार को सव्यय खंडित किया जा चुका है ।

परिवाद के संबंध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांकित 11/10/2023 का पैरा वाइस उत्तर उत्तरदाता द्वारा निम्न दिया गया है-

शपथ पत्र के पैरा वन के कथन के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

शपथ के पैरा का कथन स्वीकार है ।

यह की शपथ पत्र के पैरा 3 का कथन जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। उत्तरदाता एक एयर फोर्स पर्सनल है तथा वर्ष 1995 से 1996 मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से बा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का 1 वर्षीय कोर्स दो भागों में उतीर्ण किया था जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिफिकेशन दिनांक 04/03/1997 के अनुसार वर्ष 1995 से 1996 तक पंजीकृत दोनों के लिए एक बात ब्रेसलेट डिग्री प्रोग्राम है जो उच्च डिग्री एवं सेवायोजन के उद्देश्य पूर्णतः मान्य है ।

Bengar Adv

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

उत्तरदाता द्वारा प्राप्त डिग्री उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए परियां विद्या तथा ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है जहां तक वायु सेना में सेवारत रहकर जनहित कॉलेज ऑफ़ लॉ ग्रेटर नोएडा लब पास करने का प्रश्न है तो उसके लिए उत्तरदाता द्वारा वायुसेना में तैनाती के दौरान वायु सेवा से विधिवत अनुमति प्राप्त करके डिग्री हासिल की है जिसका विवरण उत्तरदाता की डिस्चार्ज बुक में विद्वत अंकित है डिस्चार्ज बुक के पाठ 5 के क्रमांक 16 Civil Educational qualifications के कॉलम

(a) At the time of joining service - Matric

(b) Acquired while in service B.A., L.L.B.

अंकित है। जहां तक कॉलेज में हाजिरी का प्रश्न है तो लिखनी है कि उत्तरदाता अपने विभाग से विधिवत रूप से अनुमति लेकर आवश्यक 75% उपस्थिति कक्षा में दर्ज की थी । क्योंकि वायु सेवा में 90 दिन की छुट्टी 1 वर्ष में ली जा सकती है वह इसके अधिक 30 दिन की छुट्टी अगले वर्ष से ले सकते हैं इसके अतिरिक्त Attachment Temporary Duty व अन्य तरह से विभाग से अपनी Duty Adjust करके कोई भी वायु सैनिक अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकता है विभाग आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए अनुमति देने से पहले ही एक Undertaking लेता है कि उसकी यह पढ़ाई विभाग की Service Duty को बातें नहीं करेगी बुक एलएलबी का पाठ्यक्रम उत्तरदाता द्वारा Service Duty मैं अवरोध के बिना पूरा किया गया जिसकी जानकारी उत्तरदाता के विभाग से प्राप्त की जा सकती है । उत्तर है यह कथन स्वीकार नहीं है कि उत्तरदाता द्वारा द्वारा तथ्यों को छुपा कर को रचित वफा की दस्तावेज तैयार कर उत्तरदाता द्वारा अपने विभाग से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध लॉ कॉलेज जनहित कॉलेज ऑफ़ लॉ ग्रेटर नोएडा से एलएलबी की डिग्री गलत तरीके से हासिल की है।

शपथ पत्र के पैरा 4 का समस्त कथन गलत है स्वीकार नहीं है कथन से संबंधित विवरण उत्तर के पैरा 3 में दिया जा चुका है।

शपथ पत्र के पारा 5 का समस्त कथन स्वीकार नहीं है कथन से संबंधित उत्तर विवरण उत्तर के पैरा 3 में दिया जा चुका है

शपथ पत्र के पैरा 6 का समस्त कथन गलत व कूटरचित है तथा उत्तरदाता के मामले में लागू नहीं है। अत: स्वीकार नहीं है विस्तृत विवरण उत्तर के पैरा 3 में दिया जा चुका है। इसके अलावा कथित जानकारी परिवादी द्वारा स्वयं प्राप्त नहीं की है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी की फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इसके अतिरिक्त कथन यह है कि इस संबंध में अजय सिंह एडवोकेट को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के माननीय सचिव द्वारा प्रेषित पत्रक कमेटी सेल 3857 दिनांक 13/12/2018 को पैसे पत्र के द्वारा उत्तरदाता की विधि स्नातक की डिग्री को पूर्णतः वैध माने जाने की सूचना प्रेषित की गई थी।

शपथ पत्र के पारा 7 का समस्त कथन गलत है तथा स्वीकार नहीं है उपरोक्त वर्णित तत्व उत्तरदाता के मामले में लागू नहीं होते हैं इस कथन के उत्तर में उत्तर के पैरा 3 में दिया गया कथन पठनीय है।

Bengar
Adv

शपथ पत्र के पैरा 8 का समस्त कथन गलत है स्वीकार नहीं है कथन के उत्तर में उत्तर के पैरा 3 में दिया गया उत्तर पठनीय है।

शपथ पत्र के पैरा 9 का समस्त कथन गलत है स्वीकार नहीं है उत्तरदाता उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से बा की डिग्री का बाद डिग्री धारक है उस्मानिया विश्वविद्यालय की एक वर्षी बैचलर डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार एक वैध डिग्री है।

शपथ के पैरा 10 का कथन ज्ञान अभाव में स्वीकार नहीं है।

शपथ पत्र के पारा 11 का समस्त कथन गलत है स्वीकार नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा परिवाद पत्र के लिखित उत्तर में किया गया विशेष कथन निम्न है।

उत्तरदाता वायु सेना से सेवानिवृत व्यक्ति है जो विधिवत अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल द्वारा पंजीकृत है। उत्तरदाता वर्ष 2018 में जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़कर जीता था परंतु पूर्व अध्यक्ष विपिन भाटी एडवोकेट एवं उसके साथियों द्वारा मतपत्र फाड़ दिए गए एवं मतपत्रों को लूट लिया गया तथा चुनाव अधिकारियों के साथ मारपीट व अभद्रता की गई इसके संबंध में उक्त विपिन कुमार भाटी व अन्य के विरुद्ध मुकदमा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। इससे पूर्व दुराग्रह पूर्वक उसके साथी अजय कुमार एडवोकेट द्वारा इसी आशय का एक परिवाद डीसी केस संख्या 6 / 2016 अजय कुमार बनाम मनोज भाटी एडवोकेट पंजीकृत हुआ था जिसमे उत्तरदाता को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने की उसकी योग्यता को सही मानते हुए दिनांक 04 / 11 / 2016 को पारित निर्णय के अनुसार परिवाद को खारिज करते हुए उक्त प्रवासी अजय कुमार एडवोकेट के विरुद्ध ₹25000 कॉस्ट लगाई गई थी। तथा सचिव महोदय को उक्त कास्ट को वसूल करने का निर्देश भी दिया गया था।

इस मामले में परिवादी वीरेंद्र अपने आप को कांग्रेस के बड़े स्थानीय नेता मानते हैं जिन्हें पार्टी द्वारा उनके कदाचरण के कारण पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। जो फर्जी वाले वह धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण उत्तरदाता के ग्राहक (client) श्री योगेश गुप्ता की ओर से उपरोक्त परिवादी के विरुद्ध एक आपराधिक प्रार्थना पत्र 156 (3) सीआरपीसी 67 / 2020 योजित किया था । जिसके आधार पर परिवादी व अन्य के विरुद्ध एक मु०अ०संख्या - 355/ 2020 अंतर्गत धारा 420,467,468,471,406 IPC में दर्ज हुआ था। जिसमें परिवादी द्वारा आयोजित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या यूपीजीबी 010042742020 मैं उत्तरदाता वादी के अधिवक्ता नियुक्त होकर जमानत का विरोध किए थे जिस कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर तथा विपिन कुमार भाटी एवं उसके साथियों के उकसावे में आकर यह झूठा मामला उत्तरदाता के विरुद्ध केवल मानसिक व सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से तथा अधूरे तत्व एवं जानकारी के आधार पर झूठा परिवार योजित किया है। परिवादी द्वारा आपके समक्ष झूठे तथ्यों का शपथ पत्र देकर मिथ्या साक्ष्य व लोक न्याय के विरुद्ध अपराध कारित किया है।

प्रतिवादी ने परिवाद पत्र के उत्तर के समर्थन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

1 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा दिए गए निर्णय की छायाप्रति

रिव्यू पिटीशन नं 42 / 2011

राजकुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

2 प्रतिवादी के आई कार्ड की छायाप्रति

3 प्रतिवादी की डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति

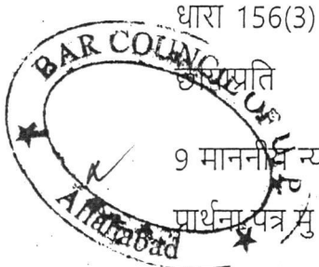
4 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कमेटी सेल 3857 दिनांक 13 / 12 /2018 के पत्र की छायाप्रति

5 बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा DC case no 06 / 2016 , अजय सिंह बनाम मनोज भाटी एडवोकेट के निर्णय की छायाप्रति

6 माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर में योजित वाद संख्या 67 / 2020 , योगेश गुप्ता बनाम बबीता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी की छायाप्रति

7 माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर में योजित वाद संख्या 67 / 2020 , योगेश गुप्ता बनाम बबीता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी में प्रतिवादी द्वारा दाखिल वकालतनामा की छायाप्रति

8 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुध नगर द्वारा प्राचीन बात संख्या 67 / 2020 अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता थाना बिसरख में दिनांक 12 / 11 / 2020 को पारित आदेश की छायाप्रति



9 माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय में दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु अ संख्या 355 / 2020, अ धारा 420,467,471,406 IPC थाना कासना की छायाप्रति

10 माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय में दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु अ संख्या 355 / 2020 , अ धारा 420,467,471,406 IPC थाना कासना , में प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त मुकदमे के परिवादी की तरफ से दाखिल वकालतनामा की छायाप्रति

उपरोक्त परिवाद पत्र के परिवादी द्वारा दिनांक 06 / 08 /26 को दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लिये जाने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र । परिवादी वीरेंद्र सिंह द्वारा निम्न दस्तावेज दाखिल किए गए

1 परिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0295 / 2025 की छायाप्रति

2 प्रतिवादी की इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट की छाया प्रति

3 प्रतिवादी के इंटरमीडिएट की छायाप्रति

4 प्रतिवादी की BA की डिग्री वर्ष 1998 की छायाप्रति

5 प्रतिवादी की BA वर्ष 1995 के अंकपत्र की छायाप्रति

6 प्रतिवादी की BA वर्ष 1997 के अंकपत्र की छायाप्रति

7 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के वर्ष 2003 - 04 के Rules for admission for Affiliated Colleges/ Institutes की छाया प्रति

8 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलसचिव द्वारा प्राचार्य/ निदेशक जनहित कॉलेज ऑफ़ लॉ ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर से मांगा मांगा गया स्पष्टीकरण की छायाप्रति

9 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ पत्रांक कमेटी सेल/ 3792 दिनांक 18/9/2018 की छाया प्रति

10 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ पत्रांक कमेटी सेल / 4523 दिनांक 10/2/2021

11 यतेंद्र नागर एडवोकेट द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मांगी गई जन सूचना की छायाप्रति

12 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा यतेंद्र नगर की जन सूचना दिनांक 25 / 6 / 2020 के उत्तर की छायाप्रति

13 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ जन सूचना प्रकोष्ठ पत्रांक कमेटी सेल/4272 दिनांक 18 /2 /2020 की छायाप्रति

14 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ पत्रांक कमेटी सेल / 7010 दिनांक 22/ 11/ 2024 की छायाप्रति

15 परिवादी द्वारा कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को प्रतिवादी की शिकायत पत्र की छायाप्रति

16 प्रतिवादी का भारतीय वायु सेवा से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिनांक 27/ 4/2009 की छायाप्रति।

17 उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की 02 वर्षीय स्नातक डिग्री की छायाप्रति।

18 मनोज कुमार भाटी की विधि स्नातक की डिग्री छायाप्रति

19 जनहित कॉलेज ऑफ़ लॉ की प्रोविजनल कम अटेंडेंस सर्टिफिकेट की छायाप्रति

20 परिवादी द्वारा उप कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को प्रतिवादी का शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

21 परिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध जिला जज महोदय जनपद गौतमबुध नगर को शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

22 परिवादी द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रतिवादी के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

23 परिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध माननीय लोकायुक्त महोदय उत्तर प्रदेश को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

24 परिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन जनपद गौतम बुध नगर को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

25 परिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।

26 मनोज कुमार भाटी द्वारा दिए गए घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र की छायाप्रति ।

27 मनोज कुमार भाटी के बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति ।

28 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 / 12 / 2018 की छायाप्रति

29 परिवादी द्वारा प्रतिवादी के भारतीय वायु सेना में 1991 से लेकर 2009 के बीच के विभिन्न वर्षो अवधि के प्रत्येक प्रकार की लीव का भारतीय वायु सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण की छायाप्रति

परिवादी व प्रतिवादी द्वारा दौरान सुनवाई लिखित व मौखिक कथन के अनुसार ।

वाद बिंदु निम्नलिखित हैं:-

1 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए कक्षा 11 व इंटरमीडिएट प्राइवेट साइंस साइड से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा उक्त कक्षाओं की लिखित परीक्षा देने व प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए अपने विभाग से वर्ष 1991 व 1993 में अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा स्टडी लीव अपने विभाग से ली गई थी?

2 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए 1 वर्षीय स्नातक बी ए पत्राचार माध्यम से करने के लिए व उक्त स्नातक डिग्री कोर्स की लिखित परीक्षा देने के लिए अक्टूबर/नवंबर 1995 से अप्रैल/मई में 1997 के मध्य अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र व स्टडी लीव अपने विभाग से ली गई थी ?

3 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए जनहित कॉलेज आफ लॉ ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से एल एल बी की तीन वर्षीय रेगुलर डिग्री कोर्स न्यूनतम 75% अटेंडेंस के साथ, करने के लिए व उक्त कोर्स की लिखित परीक्षा तथा अप्रेंटिस करने के लिए वर्ष 2004 से 2007 के मध्य अपने विभाग से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र व स्टडी लीव ली गई थी ?

4 क्या वर्ष 2004 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक नियमावली के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष का स्नातक पत्राचार के माध्यम से करने के पश्चात बिना ब्रिज कोर्स किए 3 वर्षीय व्यवसायिक कोर्स में नियमित दाखिला ले सकता है।

5 यदि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा वाद बिंदु 4 के कथन अनुसार किसी व्यक्ति को दाखिला दे दिया जाता है तो उस स्थिति में उक्त डिग्री का लीगल स्टेटस क्या होगा ?

6 यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से तथ्यों को छुपाते हुए 3 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स हेतु चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से डिग्री प्राप्त कर ली है तो उक्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नियमावली के अनुसार उक्त डिग्री का लीगल स्टेटस क्या होगा?

7 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेवा में वर्ष 1991 से 2009 तक सेवारत रहते हुए कक्षा 11 इंटरमीडिएट 1 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स तथा 3 वर्षीय एल.एल.बी. डिग्री (नियमित रूप से) कोर्स के शैक्षणिक प्रमाण पत्र धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किए गए हैं?

8 क्या प्रतिवादी ने बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण करवाते समय दिए गए शपथ पत्र व घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाया है?

9 यदि प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर गलत तरीके से बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण कराया गया है तो क्या प्रतिवादी एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 का कदाचारी है और अवैध विधि स्नातक डिग्री के लिए सजा का पात्र है ?

निर्णय

दिनांक 6/8/2026 को उभय पक्षों को सुना गया

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 01 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए कक्षा 11 व इंटरमीडिएट प्राइवेट साइंस साइड से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा उक्त कक्षाओं की लिखित परीक्षा देने व प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए अपने विभाग से वर्ष 1991 व 1993 में अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा स्टडी लीव अपने विभाग से ली गई थी?

प्रश्नगत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप के समर्थन में भारतीय वायु सेवा द्वारा प्रतिवादी से संबंधित वर्ष 1991 से 1993 के मध्य लीव रिकॉर्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की गई उक्त प्रपत्रों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि प्रतिवादी ने वर्ष 1991 से 1993 तक कभी भी स्टडी लीव नहीं ली जिसका अभिप्राय है कि प्रतिवादी ने 11th व इंटरमीडिएट की शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने विभाग से अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही प्रतिवादी ने परिवादी द्वारा उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का खंडन किया गया अतः उक्त बात बिंदु को सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

2 निस्तारण वाद बिंदु संख्या 02 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए 1 वर्षीय स्नातक बी ए पत्राचार माध्यम से करने के लिए व उक्त स्नातक डिग्री कोर्स की लिखित परीक्षा देने के लिए अक्टूबर नवंबर 1995 से अप्रैल/मई में 1997 के मध्य अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र व स्टडी लीव अपने विभाग से ली गई थी ?

प्रश्नगत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप के समर्थन में भारतीय वायु सेवा द्वारा प्रतिवादी से संबंधित अक्टूबर /नवंबर 1995 से अप्रैल/ मई 1997 के मध्य

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

लीव रिकॉर्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की गई तथा प्रतिवादी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए शपथ पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नलिखित है-

शपथ-पत्र

मैं, मनोज कुमार भाटी, पुत्र धर्मवीर सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बोडाकी, पोस्ट व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, शपथपूर्व घोषणा करता हूँ कि:-

1. *यह कि मैं जन्म से भारतीय नागरिक हूँ।*
2. *यह कि मेरी जन्म तिथि 14/07/1073 है और मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है।*
3. *यह कि मैं कभी किसी अपराध में दंडित नहीं हुआ हूँ।*
4. *यह कि मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट का कोई मुकदमा किसी भी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही किसी आपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई न ही मेरे विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है।*
5. *यह कि मै इस समय किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नहीं हूँ।*
6. *यह कि मैं कभी कभी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नहीं था और न इस समय हूँ।*
7. *यह कि मैने इसके पूर्व किसी बार कौंसिल अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु प्रार्थनापत्र नहीं दिया है और न ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अस्वीकृत हुआ।*
8. *यह कि मैने हाई स्कूल परीक्षा 1989 में उत्तीर्ण की है।*
9. *यह कि मैंने 12वीं कक्षा सन् 1993 में उत्तीर्ण की है।*
10. *यह कि मैंने स्नातक की परीक्षा सन् 1997 में उत्तीर्ण की है।*
11. *यह कि मैंने विधि स्नातक की परीक्षा सन् 2007 में उत्तीर्ण की है।*
12. *यह कि मैने विधि स्नातक कक्षा में प्रवेश मेरिट के आधार बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा सम्बद्धीकृत विद्यालय से प्राप्त किया है।*
13. *यह कि मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण पत्र तक में नाम तथा सरनेम की कोई विभिन्नता नहीं है।*
14. *यह कि अधिवक्ता के रूप में बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरूद्ध Moral Turpitude के अंदर आने वाला कोई भी आपराधिक वाद या एफ0आई0आर कायम होता है तो मैं उपरोक्त आपराधिक वाद से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट या यदि परिवाद कायम होता है तो परिवाद की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश बार कौंसिल को उक्त तथ्य की जानकारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दूँगा। इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि परिवाद या एफआईआर की प्रति बार कौंसिल को मिल गई है।*

 अ. उपरोक्त परिवाद या मुकदमें में जो भी अंतिम निर्णय होगा उस निर्णय की सत्य प्रतिलिपि को भी निर्णय की तिथि से तीन माह के अंदर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सत्य प्रतिलिपि के साथ रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि प्रति मिल गई है।

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

ब. *यह कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात यदि मैं अपने जीवन यापन हेतु किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या अन्य व्यवसायों को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में अपनाता हूँ तो मेरे द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के कार्यालय में समर्पित कर दिया जायेगा और ऐसा न करने पर मैं भा0द0वि0 के अंतर्गत Fraud का दोषी माना जाऊंगा।*

स. *यह कि आवेदन पत्र के रूप में मेरे द्वारा की गई घोषणा मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है।*

15. कोई विशेष उल्लेख

यह कि शपथ पत्र के उपर्युक्त पैराग्राफ-1 से 15 तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। भगवान मेरी सहायता करें।

आज दिनांक 24.04.2009 स्थान फेस-2 नोएडा पर सत्यापित किया।

शपथकर्ता

उपरोक्त शपथ पत्र में उल्लिखित है कि *पैरा-5 यह कि मैं इस समय किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नहीं हूँ। पैरा-6 यह कि मैं कभी कभी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नहीं था और न इस समय हूँ।*

Discharge Certificate to who so ever it may concerned

This is to certify trhat 722031F Sargent manoj Kumar Bhati s/o Shri Dharamvir Singh have servce in Indian Air Force (IAF) w.e.f22 feb 91 to 30 Apr 09. He is proceeding on discharge from IAF from 30 Apr 09 (P.M) vide AFRO letter RO/2803/1RW (Dis) dated 08 Apr 09. He will be struck of strength of Indian Air Force w.e.f. 01 May 09.

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

जारीकर्ता के विभागीय अधिकारी के पद, मोहर व हस्ताक्षर अपठनीय

यह कि शपथ-पत्र और विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि दिनांक 24 अप्रैल 2009 को वह अपने विभाग में कार्यरत था और उसके द्वारा झूठा शपथ-पत्र/हलफनामा दाखिल किया गया है। तथा साथ ही उक्त प्रपत्रों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि प्रतिवादी ने वर्ष 1995 से 1997 तक कभी भी स्टडी लीव नहीं ली जिसका अभिप्राय है कि प्रतिवादी ने बी ए की शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने विभाग से अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही प्रतिवादी ने परिवादी द्वारा उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का खंडन किया गया अतः उक्त बात बिंदु को सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

3 निस्तारण बाद बिंदु 03 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए जनहित कॉलेज आफ लॉ ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से एल एल बी की तीन वर्षीय रेगुलर डिग्री कोर्स न्यूनतम 75% अटेंडेंस के साथ,

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

करने के लिए व उक्त कोर्स की लिखित परीक्षा तथा अप्रेंटिस करने के लिए वर्ष 2004 से 2007 के मध्य अपने विभाग से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र व स्टडी लीव ली गई थी ?

प्रश्न बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया

परिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में भारतीय वायुसेना द्वारा प्रतिवादी से संबंधित वर्ष 2004 से 2007 तक का लीव रिकॉर्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई उक्त प्रपत्रों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने वर्ष 2004 से 2007 तक कभी भी स्टडी लीव नहीं ली है जिसका अभिप्राय है कि प्रतिवादी ने लब 3 वर्षीय (नियमित रूप से) की शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने विभाग से अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही प्रतिवादी ने परिवादी द्वारा उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का खंडन किया प्रपत्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि परिवादी ने वर्ष 2004 से 2005 एलएलबी प्रथम वर्ष के सेशन में कल 107 दिन की एनुअल लीव ली है। वर्ष 2005 से 2006 एलएलबी द्वितीय वर्ष सेशन में प्रतिवादी ने कुल 75 दिन की एनुअल लीव ली है। वर्ष 2006 से 2007 एलएलबी तृतीय वर्ष के सेशन में प्रतिवादी ने कुल 54 दिन की एनुअल लीव ली है। वर्ष वर्ष 2004 से 2007 के बीच में उपरोक्त लीव्स के अलावा प्रतिवादी ने अन्य कोई भी लीव नहीं ली हुई है जिससे यह साबित होता है कि एलएलबी के प्रत्येक सेशन में कभी भी प्रतिवादी का संबंधित कॉलेज में 76% हाजिरी होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भारतीय वायु सेना के सर्विस रूल्स के अनुसार एयरमैन और सार्जेंट को सेवारत रहने के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक डिग्री वह भी नियमित रूप में लेने का कोई भी प्राविधान नहीं है। जनहित कॉलेज ऑफ़ लॉ ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुध नगर द्वारा अपनी अटेंडेंस शीट के माध्यम से बताना की प्रतिवादी ने उसके विद्यालय से स्वयं उपस्थित होकर 76% हाजिरी के साथ एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है इससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को संबंधित विद्यालय में उपस्थित करवा कर एलएलबी की डिग्री प्राप्त करी है अतः प्रतिवादी ने एल.एल.बी. 3 वर्षीय व्यावसायिक डिग्री नियमित रूप से धोखाधड़ी करके प्राप्त की है।

4 निस्तारण वाद बिंदु 04 क्या वर्ष 2004 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक नियमावली के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष का स्नातक पत्राचार के माध्यम से करने के पश्चात बिना ब्रिज कोर्स किए 3 वर्षीय व्यवसायिक कोर्स में नियमित दाखिला ले सकता है।

प्रश्नगत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक जनसूचना/ 22112 /22150 दिनांक 3/5 /2019 मैं सूचना दी गई कि दो वर्ष का ग्रेजुएशन करने का पश्चात बिना ब्रिज कोर्स किए 3 वर्ष की व्यावसायिक कोर्स में नियमित दाखिला नहीं दिया जा सकता जबकि तथ्य है कि प्रतिवादी ने तो मात्र 1

वर्ष की बी.ए. डिग्री 2 वर्षों 1995 से 1997 के मध्य प्राप्त की है अतः उक्त बिंदु से यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी की एक 1 वर्ष की बी ए डिग्री अमान्य है।

5 निस्तारण वाद बिंदु 05 यदि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा वाद बिंदु 4 के कथन अनुसार किसी व्यक्ति को दाखिला दे दिया जाता है तो उस स्थिति में उक्त डिग्री का लीगल स्टेटस क्या होगा ?

प्रश्नगत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक जनसूचना/ 22112/ 12150 दिनांक 3/5/ 2019 में सूचना दी गई की यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी को यदि दो वर्ष का ग्रेजुएशन करने का पश्चात बिना ब्रिज कोर्स किए 3 वर्ष के व्यावसायिक कोर्स में नियमित दाखिला दिया गया है तो वह मान्य नहीं है। जबकि प्रतिवादी ने एक वर्ष की बी.ए. की डिग्री प्राप्त की है इससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी द्वारा जनहित कॉलेज आफ लॉ ग्रेटर नोएडा गौतम बुध नगर उत्तर प्रदेश में एल एल बी 3 वर्षीय नियमित कोर्स में दाखिला लेना ही अमान्य है।

6 निस्तारण वाद बिंदु 06 यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से तथ्यों को छुपाते हुए 3 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स हेतु चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से डिग्री प्राप्त कर ली है तो उक्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नियमावली के अनुसार उक्त डिग्री का लीगल स्टेटस क्या होगा?

प्रश्न गत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक जनसूचना/ 22112 /22150 दिनांक 3/5 /2019 में सूचना दी गई कि यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से 3 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो उक्त विश्वविद्यालय के नियमावली के अनुसार उसकी संबंधित डिग्री वैध नहीं है।

7 निस्तारण बाद बिंदु 07 क्या प्रतिवादी द्वारा भारतीय वायु सेवा में वर्ष 1991 से 2009 तक सेवारत रहते हुए कक्षा 11 इंटरमीडिएट 1 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स तथा लब 3 वर्षीय डिग्री कोर्स के शैक्षणिक प्रमाण पत्र धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किए गए हैं?

प्रश्नगत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया

समस्त कथनों साक्ष्यों के परिशीलन करने पर यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए अपनी समस्त शैक्षिक योग्यताएं अपने विभाग के बिना अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना कोई स्टडी लीव लिए प्राप्त की है प्रतिवादी ने भारतीय वायु सेवा में सेवारत रहते हुए एल.एल.बी 3 वर्षीय व्यावसायिक कोर्स नियमित रूप से 76% अटेंडेंस के साथ किया है जो की प्रतिवादी के लीव रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर सिद्ध नहीं होता । प्रतिवादी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में भी लब 3 वर्ष के डिग्री कोर्स मे तथ्यों को छुपाकर व गलत तरीके से

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

प्रवेश लिया है अतः यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने भारतीय वायु सेना में सेवारत रहते हुए धोखाधड़ी करते हुए सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

8 निस्तारण बाद बिंदु 08 क्या प्रतिवादी ने बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण करवाते समय दिए गए शपथ पत्र व घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाया है?

प्रश्नगत बिंदु पर पत्रावली का परिशीलन किया गया ।

9-निस्तारण वाद बिन्दु-09 यदि प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर गलत तरीके से बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण कराया गया है तो क्या प्रतिवादी एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 का कदाचारी है और अवैध विधि स्नातक डिग्री के लिए सजा का पात्र है ?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा बार कौंसिल में कूटरचित दस्तावेजों व असत्य शपथपत्र जिसकी छायाप्रति रिकार्ड पर उपलब्ध है चूंकि यह पूर्णत: सिद्ध पाया जाता है कि प्रतिवादी ने जो एलएलबी 3 वर्षीय डिग्री कोर्स किया है उसकी डिग्री पूरी तरह से अमान्य व अवैध है।

माननीय उच्च में रिट संख्या-12231/2025 मोहम्मद कफील बनाम स्टेट का यूपी में कहा गया है कि कदाचार के दोषी अधिवक्ताओं का लाइसेंस बार कौंसिल शीघ्र से शीघ्र निरस्त करें अत: प्रतिवादी का लाइसेंस उपरोक्त MATTER UNDER ARTICLE 227 NO. 12231 of 2025 मोहम्मद कफील बनाम स्टेट का यूपी में पारित निर्णय के आलोक में निरस्त किया जाता है।

सचिव बार कौंसिल को आदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रतिलिपि माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालय भेंजे तथा आदेश की प्रति माननीय जिला जज, गौतमबुद्धनगर व जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

आदेश दिनांक- 26-09-2026

Sd/ Sd/ Sd/

TRUE COPY

सचिव / रजिस्ट्रार
अनुशासन समिति
बार कौंसिल ऑफ उ०प्र० इलाहाबाद

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD